

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(222/14)2014/एफसीए/प्रमुवसं./2270

दिनांक 16/8/24

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 4.69 ha. forest land for Permission for running of existing Gaushala in forest land for Saint Shri asharam Ji Gaushala Samiti Village Lakhawa, Kota, Raj. (Proposal No.- FP/RJ/Others/25462/2017)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक प. 1(35)वन/2024 जयपुर दिनांक 02.07.2024

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 4413 दिनांक 31.07.2024 द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है जो की निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	आक्षेप	अनुपालना
1	उक्त प्रस्ताव की केएमएल. फाइल देखने से ज्ञात होता है कि उक्त उक्त वनक्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करावे।	प्रस्ताव से संबंधित वन भूमि में गौशाला गत लगभग 20 वर्ष से संचालित है। जिसके संबंध में उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सलंगन निरीक्षण दिनांक 01.11.2022 को किये गये मौका निरीक्षण की साईट निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से Violation टिप्पणी अंकित की गई है।
	वन प्रत्यावर्तन के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर साईट वनमण्डल कोटा के अनुसार उक्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वनभूमि का डायवर्जन की प्रस्ताव से संबंधित वनभूमि में श्रेणी में आना प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में टिप्पणी से अवगत कराये।	वनमण्डल कोटा के अनुसार उक्त प्रस्ताव से संबंधित वनभूमि में गौशाला गत लगभग 20 वर्ष से संचालित होने के कारण यह प्रत्यावर्तन प्रस्ताव स्वतः ही साईट विशिष्ट परियोजना की श्रेणी में आ जाता है।

सलंगन:-उक्तानुसार।

भवदीया,

(Shikha
शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ. 14(222/14)2014/एफसीए/प्रमुवसं./

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, कोटा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति ग्राम लखावा, जिला-कोटा।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 4413

दिनांक 31.7.2024

निमित्त:-

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर ।


विषय :- वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/Other/25462/2017 संत श्री आशाराम जी गौशाला
समिति ग्राम लखावा कोटा के संबंध में राज्य सरकार से जारी ईडीएस के प्रत्युत्तर
बाबत।

प्रसंग:- उप वन संरक्षक कोटा का पत्रांक 4110 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/Other/25462/2017 संत. श्री
आशाराम जी गौशाला समिति ग्राम लखावा कोटा के संबंध में राज्य सरकार से जारी ईडीएस के प्रत्युत्तर
उप वन संरक्षक कोटा से प्राप्त होने के उपरान्त निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.सं.	ईडीएस बिन्दु.	प्रत्युत्तर
1.	उक्त प्रस्ताव की केएमएल फाइल देखने से ज्ञात होता है कि उक्त वनक्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करावे।	उक्त प्रस्ताव से संबंधित वन भूमि में गौशाला गत लगभग 20 वर्ष से संचालित है। जिसके संबंध में उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सलग्न निरीक्षण दिनांक 01.11.2022 को किये गये मौका निरीक्षण की साईट निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से Violation टिप्पणी अंकित की गई है।
2.	वन प्रत्यावर्तन के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर साईट विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वनभूमि का डायवर्जन की श्रेणी में आना प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में टिप्पणी से अवगत करावे।	वनमण्डल कोटा के अनुसार उक्त प्रस्ताव से संबंधित वनभूमि में गौशाला गत लगभग 20 वर्ष से संचालित होने के कारण यह प्रत्यावर्तन प्रस्ताव स्वतः ही साईट विशिष्ट परियोजना की श्रेणी में आ जाता है।


(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा